संख्या:-26/2019/2590/अड़तीस-7-2019-78नरेगा/2019

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊः दिनांकः 23 अक्टूबर, 2019

विषयः- प्रदेश में प्रति विकास खण्ड 02 ग्राम पंचायतों को "मनरेगा ग्राम" के रूप में विकसित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारण्टी योजना लागू की गयी है, योजनान्तर्गत समय-समय पर सुधार करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों की आजीविका में वृद्धि ग्राम में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन का नियोजन तथा ग्राम की अवस्थापना संबधी सुविधाओं को विकसित करने हेतु विभिन्न प्राविधान एवं कार्यों की अनुमन्यता प्रदान की गई है, जिसमें मुख्य रूप से विभिन्न विभागों के तालमेल से संपर्कता, आवास, स्वच्छता सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, कृषि और जल संरक्षण, मजदूरी रोजगार, कौशल विकास के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्रदान किया गया है। यह अनुभव किया गया कि योजनान्तर्गत समेकित कार्ययोजना न बनाने से गांवों में उपलब्ध संसाधनों का पूर्णरूप से विकास नहीं हो पाया है।

2- उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त 2022 तक एस0डी0जी0 गोल संख्या-1 को प्राप्त करने के उददेश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड के 02 ग्राम पंचायतों को "मनरेगा ग्राम" के रूप में विकसित किया जाये तथा प्रत्येक वर्ष चयनित ग्रामों को मनरेगा योजना में अनुमन्य समस्त कार्यों को अन्य विभागीय योजनाओं से कन्वर्जेंस करते हुए ग्रामीण अवस्थापना प्राकृतिक संसाधनों का विकास, व्यक्तिगत लाभार्थीपरक कार्यों का संतृप्तिकरण करते हुए समेकित एवं स्थायी विकास किया जाये। इस अनुक्रम में यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक विकास खण्ड के 02 ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त विशेष परिस्थिति में आवश्यकतानुसार "मनरेगा ग्रामों" की संख्या में वृद्धि शासन की सहमति के उपरान्त किया जा सकता है। अतः मामले में निम्नानुसार तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

(क) "मनरेगा ग्राम" को विकसित किये जाने का उद्देश्यः-

1. ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ पलायन को रोकना(Prevent Distress Migration)।
2. ग्राम पंचायतों में ऐसी सुविधाओं की उपलब्धता को उपलब्ध कराना जो ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार कर सके (Decent Standard of Living)।
3. ग्राम पंचायत मे कृषि उत्पादित उपजों अथवा अन्य विपणन योग्य सामानों को बाजार तक पहुचाना।
4. ग्राम पंचायत में समाज के सभी वर्गों को सम्मिलित कर सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा मे योगदान देना।
5. ग्राम पंचायत को समावेशी विकास प्रदान करना।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अतः उपर्युक्त के अनुक्रम में "मनरेगा ग्रामों" को विकसित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय:-

1. योजनान्तर्गत चयनित "मनरेगा ग्राम" की कार्ययोजना तैयार करने से पूर्व ग्राम में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पूर्व से कराये गये कार्यों का एक आधारभूत डेटाबेस तैयार करते हुए इसका प्रकाशन सार्वजनिक सूचना पट पर किया जाये।
2. ग्राम में ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित की जाये, जिसमें ग्राम में गठित स्वयं सहायता समूह एवं समस्त जनप्रतिनिधि, समस्त विभागों के अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाये।
3. बैठक में "मनरेगा ग्राम" को संतृप्त करने हेतु आवश्यकताओं एवं संसाधनों का आंकलन करते हुएGIS Based विस्तृत ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार की जाये। ग्राम पंचायत विकास योजना में चिन्हित परियोजनाओं में मनरेगा एवं अन्य विभागीय संसाधनों का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(ख) मनरेगा योजनान्तर्गत "मनरेगा ग्राम" में कराये जाने वाले प्रमुख कार्य-

(1) **आजीविका संवर्द्धन संबंधी कार्य-**

1. मांग के अनुसार श्रम रोजगार उपलब्ध कराना,
2. अनुसूची-2 के पैरा-5 में उल्लिखित परिवारों को व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों/परियोजनाओं के सृजन हेतु रू0 2.00 लाख की सीमा तक का लाभ (पशु आश्रय, बकरी आश्रय, मुर्गी आश्रय, फार्म पाण्ड, सिंचाई कूप, बागवानी आदि)
3. स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों द्वारा नर्सरी स्थापना, मत्स्य पालन आदि।
4. सामाजिक सुरक्षा हेतु वंचित परिवारों महिला मुखिया परिवारों को व्यक्तिगत आजीविका वृद्धि परियोजनाओं से आच्छादन।
5. कृषि उत्पादों की बिक्री करने के लिए रूरल हाट का निर्माण
6. स्वयं सहायता समूहों के क्रियाकलापों हेतु शेड का निर्माण।

(2) **ग्रामीण अवस्थापना-**

1. आन्तरिक रोड का निर्माण
2. खेल के मैदान का निर्माण
3. विद्यालयों में बाउन्ड्री वाल का निर्माण
4. आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पंचायत भवन का निर्माण
5. विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए पृथक्पृथक शौचालयों का निर्माण
6. शवदाह गृह (Crematorium) का निर्माण
7. Digital and Mobile connectivity हेतु Common service centre की स्थापना।

(3) **प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन एवं कृषि तथा कृषि संबधित गतिविधियां**

1. खाद्य गोदामों का निर्माण
2. सिंचाई सुविधाओं के लिए Minor Canal/Sub Minor canal का निर्माण
3. Water Shed Devlopment
4. चेक डैम का निर्माण
5. वृक्षारोपण एवं भूमि विकास
6. जल संरक्षण एवं जल संचयन के कार्य
7. खेतों तक सिंचाई नाली का निर्माण।

(4) **ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी कार्य**

1. घरेलू पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ;अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. सोकपिटों का निर्माण।
3. नेडप कम्पोस्ट पिट/कम्पोस्ट पिट का निर्माण।

(5) **अन्य क्रिया-कलाप-**

1. समस्त परिवारों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति।
2. स्वास्थ्य सुविधाओं के लाभ हेतु समस्त परिवारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादन।
3. व्यवहारिक एवं गुणवत्तापरक शिक्षा
4. समस्त परिवारों को पेंशन, राजस्व विभाग द्वारा संचालित बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से आच्छादन।

(ग) अन्य विभागीय संसाधनों एवं योजनाओं का अभिसरण करके चयनित ग्राम में निम्नलिखित गतिविधियां/कार्य अनिवार्य रूप से संचालित किये जायेंगे-

(1) **कृषि एवं उद्यान विभाग-**

1. उपलब्ध भूमि का सुनियोजित ढंग से अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना।
2. वेस्ट लैण्ड/ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाना।
3. मृदा एवं जल संरक्षण की परम्परागत एवं नवीनतम तकनीकों की जानकारी कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर देना।
4. फसल चक्र एवं क्रॉपिंग पैटर्न में परिवर्तन हेतु कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
5. प्रत्येक कृषक का जल कार्ड बनाना, जिसमें भू-जल दोहन के दुष्परिणामों से सचेत करते हुए ऐसी प्रजातियों के बारे में जानकारी देना, जो कम सिंचाई में ज्यादा उपज प्रदान करती हैं।
6. मिक्स क्रॉपिंग फसल के साथ-साथ समन्वित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से जल कार्ड की व्यवस्था।
7. फल एवं सब्जी उत्पादन को प्रोत्साहित करते हुए उनके मूल्य संवर्धन हेतु प्रसंस्करण/भण्डारण ईकाई की स्थापना।
8. बीज उत्पादन से संबंधित क्रिया-कलाप स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराना।

(2) **पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग तथा मत्स्य विभाग-**

1. पशुओं के लिए चारागाह विकास, कैटल शेड का निर्माण।
2. डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु चिलिंग सेण्टर मिल्क कलेक्शन सेण्टर का विकास।
3. कुक्कुट पालन, बकरी पालन, सुअर पालन इत्यादि हेतु लाभार्थियों को चयनित कर उन्हें विभागीय योजनाओं से आच्छादित करना।
4. ग्राम में स्थित तालाबों में समूह के माध्यम से मत्स्य पालन कराना।

(3) **जल निगम एवं पेयजल-**

1. पाइप पेयजल की योजनाओं से आच्छादित करते हुए समस्त पेयजल स्रोतों के निकट स्वच्छता एवं पानी निकासी हेतु सोकपिटों का निर्माण।
2. परंपरागत पेयजल स्त्रोतों जैसे कुओं का जीर्णोद्धार एवं उन्हें भू-जल रिचार्ज हेतु योग्य बनाना।
3. भू-गर्भ जल संरक्षण हेतु परिवारों में यह चेतना जाग्रत करना कि "जल संरक्षण नहीं, तो नल टोंटी नहीं।"
4. समस्त पक्के भवनों के निकट भूजल रिचार्ज हेतु रिचार्ज पिटों का निर्माण।

(4) **बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा शिक्षा विभाग-**

1. विद्यालयों में बाउन्ड्री वाल का निर्माण

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. आंगनबाड़ी केन्द्र एवं पंचायत भवन का निर्माण

3. विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए पृथकपृथक शौचालयों का निर्माण

(घ) **निरीक्षण एवं अनुश्रवण-** चयनित मनरेगा ग्रामों में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पाक्षिक रूप से भ्रमण कर ग्राम में संचालित कार्यक्रमों एवं गतिविधियों को अनुश्रवण/पर्यवेक्षण किया जायेगा।

(ङ) **रोजगार दिवस-** मनरेगा ग्राम में प्रत्येक माह रोजगार दिवस का आयोजन किया जायेगा

(च) **प्रशिक्षण एवं कार्यशाला-** चयनित मनरेगा ग्राम में विभागीय योजनाओं की जानकारी एवं ग्रामवासियों की सहभागिता हेतु विभागों यथा-पंचायतीराज विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र एवं कृषि विश्व विद्यालयों द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जायेगा।

ग्राम पंचायत को "मनरेगा ग्राम" के रूप में विकसित करने के लिए मनरेगा योजनान्तर्गत अनुमन्य 260 कार्यों में से ग्राम पंचायतों की भौगोलिक स्थिति एवं स्थानीय आवश्यकतानुसार सभी कार्यों को कराया जाना अपेक्षित है। चयनित ग्रामों में श्रेणी 5 के प्रत्येक पात्र परिवार को व्यक्तिगत परिसम्पत्तियों का लाभ देकर संतृप्त किया जाये। इसी प्रकार ग्रामीण अवस्थापना, कृषि एवं कृषि संबंधित कार्य एवं प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्य को भी चरणवार तरीके से कराकर चयनित वर्ष में संतृप्त किया जाये।

कृपया उक्त निर्देशों के क्रम में जनपद के प्रत्येक विकास खण्ड में "मनरेगा ग्राम" का चयन करते हुए जनपद में चयनित ग्रामों की सूची एवं ग्रामों की ग्राम पंचायत विकास योजना सहित राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराते हुए निर्धारित कार्य योजना के अनुसार कार्य कराते हुए वित्तीय वर्ष में संतृप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अनुराग श्रीवास्तव
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या:-26/2019/2590(1)/अड़तीस-7-2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई, वन, सिंचाई, लोक निर्माण, कृषि, मत्स्य, उद्यान, रेशम, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
5. मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उ0प्र0।
6. अपर आयुक्त, मनरेगा, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र।
9. समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त, श्रम रोजगार/स्वतः रोजगार/खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विजय बहादुर वर्मा
संयुक्त सचिव।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैइ :अत ,स पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।